सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/354 दर्ज तिथिः–23.10.2023

1. भीखाराम पुत्र सवाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र सवाराम
3. देवाराम पुत्र सवाराम
4. लालाराम पुत्र सवाराम
5. हस्तुदेवी पत्नी सवाराम

   जाति मेघवाल निवासी पादरडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.................वादी

बनाम

1. देरामा पुत्र सूराम
2. हरजी पुत्र सूरा
3. गुणेशा पुत्र सूरा
4. अमरा पुत्र मांगा
5. कुंभा पुत्र मांगा
6. करना पुत्र लिछमणा
7. खेमा पुत्र लिछमणा
8. पंचा पुत्र लिछमणा
9. वेला पुत्र लिछमणा
10. तुलछी पत्नी लिछमणा
11. मोहन पुत्र खुशाला

    सकू पतनी खुशाला फौत के कायम मुकाम मोहन जाति मेघवाल निवासी पादरडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.................असल प्रतिवादीगण

13. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुढामालानी।
14. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी शाखा गुडामालानी
15. तहसीलदार गुढामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगणः– श्री मोहनलाल विश्नोई
श्री हरिश चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested

भीखाराम बनाम देरामा
2023 / 354
निर्णय दिनांकः—24.04.2025

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—24.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 123 / 3.7798 है0, 255 / 2.5738 है0, 278 / 1.2626 है0, 293 / 2.4362 है0, 296 / 0.8579 है0, 70 / 1.6754 है0, 93 / 1.4245 है वाके ग्राम पादरडी कला तहसील गुडामालानी व 283 / 0.2590 है0, 310 / 0.5504 है0, 341 / 3.0270 है0, वाके ग्राम जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी व 162 / 3.9578 है0, 167 / 1.6268 है0, 212 / 2.1044 है0, 25 / 1.7968 है0 वाके ग्राम पादरडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 04—05 व 11 के अतिरिक्त समस्त प्रतिवादीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 04—05 व 11 ने असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर सीधे बहस कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। अतः मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त अनुसार बंटवारा किया जावे। प्रकरण में अभिभाषक उभपक्षकारान की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान–ए–बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09.09.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 2219 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 द्वारा जरिये असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव / कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति न्यायालय द्वारा अस्वीकार की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 2219 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21 ***Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.*** *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 15.10.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 894–909 दिनांक 30.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 15.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 894–909 दिनांक 30.09.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 15.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 123 / 3.7798 है0, 255 / 2.5738 है0, 278 / 1.2626 है0, 293 / 2.4362 है0, 296 / 0.8579 है0, 70 / 1.6754 है0, 93 / 1.4245 है वाके ग्राम पादरडी कला तहसील गुडामालानी व 283 / 0.2590 है0, 310 / 0.5504 है0, 341 / 3.0270 है0, वाके ग्राम जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी व 162 / 3.9578 है0, 167 / 1.6268 है0, 212 / 2.1044 है0, 25 / 1.7968 है0 वाके ग्राम पादरडी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 123 / 3.7798 है0, 255 / 2.5738 है0, 278 / 1.2626 है0, 293 / 2.4362 है0, 296 / 0.8579 है0, 70 / 1.6754 है0, 93 / 1.4245 है वाके ग्राम पादरडी कला तहसील गुडामालानी व 283 / 0.2590 है0, 310 / 0.5504 है0, 341 / 3.0270 है0, वाके ग्राम जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी व 162 / 3.9578 है0, 167 / 1.6268 है0, 212 / 2.1044 है0, 25 / 1.7968 है0 वाके ग्राम पादरडी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested

कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

<table>
<tr><th>खातेदार</th><th>ग्राम</th><th>खसरा</th><th>रकबा</th><th>किस्म</th></tr>
<tr><td>चुनीलाल पुत्र सवाराम हि0 3 / 14
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
देवाराम पुत्र सवाराम हि0 3 / 14
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
भीखाराम पुत्र सवाराम हि0 3 / 14
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
लालाराम पुत्र सवाराम हि0 3 / 14
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
हस्तुदेवी पत्नी सवाराम हि0 1 / 7
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार</td><td>पादरड़ी कला

जाटों की ढाणी</td><td>70
293

341</td><td>0.8377
2.4362

0.6307</td><td>रे0अ0
बा0दो0
बा0दो0</td></tr>
<tr><td colspan="5">कुल किता 03 रकबा 3.9046 है0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">अमरा पुत्र मांगा हि0 1 / 12
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
कुंभा पुत्र मांगा हि0 1 / 12
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन—एसबीआई व बीसीसीबी गुड़ामालानी
(खसरा संख्या 123, 70, 93 एसबीआई, बिना रहन)
(खसरा संख्या 283, 310, 341 बीसीसीबी, बिना रहन)
करना पुत्र लिछमणा हि0 1 / 30
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
खेमा पुत्र लिछमणा हि0 1 / 30
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
गुणेशा पुत्र सूरा हि0 1 / 6
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
तुलछी पत्नी लिछमणा हि0 1 / 30
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
देरामा पुत्र सूराराम हि0 1 / 6
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
पांचा पुत्र लिछमणा हि0 1 / 30 जाति मेघवाल
मोहन पुत्र खुशाला हि0 1 / 12 जाति मेघवाल
वेला पुत्र लिछमणा हि0 1 / 30 जाति मेघवाल
सकू पत्नी खुशाला हि0 1 / 12 जाति मेघवाल
हरजी पुत्र सूरा हि0 1 / 6 जाति मेघवाल
सा0 देह खातेदार</td><td>पादरड़ी</td><td>162
167
212
25</td><td>3.9578
1.6268
2.1044
1.7968</td><td>बा0दो0
बा0दो0
बा0दो0
रे0अ0</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल किता 04 रकबा 9.4858 है0</td></tr>
<tr><td>जाटों की ढाणी</td><td>283
310
341</td><td>0.2590
0.5504
2.3963</td><td>बा0अ0
बा0अ0
बा0दो0</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल किता 03 रकबा 3.2057 है0</td></tr>
<tr><td>पादरड़ी कला</td><td>123
255
278
296
70
93</td><td>3.7798
2.5738
1.2626
0.8579
0.8377
1.4245</td><td>रे0अ0
बा0दो0
बा0दो0
बा0दो0
रे0अ0
रे0अ0</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">किता 06 रकबा 10.7363 है0</td></tr>
</table>

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested

जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023/354 दर्ज तिथिः—23.10.2023

1. भीखाराम पुत्र सवाराम
2. चुन्नीलाल पुत्र सवाराम
3. देवाराम पुत्र सवाराम
4. लालाराम पुत्र सवाराम
5. हस्तुदेवी पत्नी सवाराम

जाति मेघवाल निवासी पादरडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.................वादी

बनाम

1. देरामा पुत्र सूराम
2. हरजी पुत्र सूरा
3. गुणेशा पुत्र सूरा
4. अमरा पुत्र मांगा
5. कुंभा पुत्र मांगा
6. करना पुत्र लिछमणा
7. खेमा पुत्र लिछमणा
8. पंचा पुत्र लिछमणा
9. वेला पुत्र लिछमणा
10. तुलछी पत्नी लिछमणा
11. मोहन पुत्र खुशाला

सकू पतनी खुशाला फौत के कायम मुकाम मोहन जाति मेघवाल निवासी पादरडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.................असल प्रतिवादीगण

13. शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक गुढामालानी।
14. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी शाखा गुडामालानी
15. तहसीलदार गुढामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री मोहनलाल विश्नोई
श्री हरिश चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 123 / 3.7798 है0, 255 / 2.5738 है0, 278 / 1.2626 है0, 293 / 2.4362 है0, 296 / 0.8579 है0, 70 / 1.6754 है0, 93 / 1.4245 है वाके ग्राम पादरडी कला तहसील गुडामालानी व 283 / 0.2590 है0, 310 / 0.5504 है0, 341 / 3.0270 है0, वाके ग्राम जाटों की ढाणी तहसील गुडामालानी व 162 / 3.9578 है0, 167 / 1.6268 है0, 212 / 2.1044 है0, 25 / 1.7968 है0 वाके ग्राम पादरडी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

<table>
<tr><th>खातेदार</th><th>ग्राम</th><th>खसरा</th><th>रकबा</th><th>किस्म</th></tr>
<tr><td rowspan="2">चुनीलाल पुत्र सवाराम हि0 3 / 14
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
देवाराम पुत्र सवाराम हि0 3 / 14
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
भीखाराम पुत्र सवाराम हि0 3 / 14
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
लालाराम पुत्र सवाराम हि0 3 / 14
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
हस्तुदेवी पत्नी सवाराम हि0 1 / 7
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार</td><td>पादरड़ी कला</td><td>70
293</td><td>0.8377
2.4362</td><td rowspan="2">रे0अ0
बा0दो0
बा0दो0</td></tr>
<tr><td>जाटों की ढाणी</td><td>341</td><td>0.6307</td></tr>
<tr><td colspan="5">कुल किता 03 रकबा 3.9046 है0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">अमरा पुत्र मांगा हि0 1 / 12
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
कुंभा पुत्र मांगा हि0 1 / 12
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार रहन—एसबीआई व बीसीसीबी गुड़ामालानी
(खसरा संख्या 123, 70, 93 एसबीआई, बिना रहन)
(खसरा संख्या 283, 310, 341 बीसीसीबी, बिना रहन)
करना पुत्र लिछमणा हि0 1 / 30
जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार
खेमा पुत्र लिछमणा हि0 1 / 30</td><td>पादरड़ी</td><td>162
167
212
25</td><td>3.9578
1.6268
2.1044
1.7968</td><td>बा0दो0
बा0दो0
बा0दो0
रे0अ0</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल किता 04 रकबा 9.4858 है0</td></tr>
<tr><td>जाटों की ढाणी</td><td>283
310
341</td><td>0.2590
0.5504
2.3963</td><td>बा0अ0
बा0अ0
बा0दो0</td></tr>
<tr><td colspan="4">कुल किता 03 रकबा 3.2057 है0</td></tr>
<tr><td>पादरड़ी कला</td><td>123
255
278</td><td>3.7798
2.5738
1.2626</td><td>रे0अ0
बा0दो0
बा0दो0</td></tr>
</table>

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested

जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार गुणेशा पुत्र सूरा हि0 1/6 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार		296 70 93	0.8579 0.8377 1.4245	बा0दो0 रे0अ0 रे0अ0
तुलछी पत्नी लिछमणा हि0 1/30 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार देरामा पुत्र सूराराम हि0 1/6 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार पांचा पुत्र लिछमणा हि0 1/30 जाति मेघवाल मोहन पुत्र खुशाला हि0 1/12 जाति मेघवाल वेला पुत्र लिछमणा हि0 1/30 जाति मेघवाल सकू पत्नी खुशाला हि0 1/12 जाति मेघवाल हरजी पुत्र सूरा हि0 1/6 जाति मेघवाल सा0 देह खातेदार	किता 06 रकबा 10.7363 है0			

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

सहायक कलक्टर गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.05.23 09:35:27 IST
Reason: SelfAttested